राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : पीए/एफए/2009/2853 दिनांक : 27.09

आदेश

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर में पदस्थापित वरिष्ठ लेखाधिकारियो, लेखाधिकारियों एवं सहायक लेखाधिकारियों को निम्नानुसार जोन के प्रभारी एवं पर्यवेक्षण अधिकारी लगाया जाता है:-

क्र.सं.	अधिकारी का पद नाम	आंवटित जोन
1	डॉ. होशियार सिंह, वरिष्ठ लेखाधिकारी (अंकेक्षण)	जोधपुर एवं बीकानेर
2	श्री गुलजारीलाल शर्मा, वरिष्ठ लेखाधिकारी (बजट)	जयपुर एवं अजमेर
3	श्री नरसी राम, लेखाधिकारी (मुख्यालय)	भरतपुर
4	श्री किशन लाल, सहायक लेखाधिकारी	कोटा
5	श्री पी.डी. वर्मा, सहायक लेखाधिकारी	उदयपुर

समस्त प्रभारी एवं पर्यवेक्षण अधिकारी उनको आंवटित जोन के अधीन जिलों के चिकित्सा संस्थानो/अस्पतालों का भ्रमण कर निम्न बिन्दुओं की समीक्षा कर संबंधित प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों से चर्चा करेंगे :-

1. पुराने अनुपयोगी वाहनों/सामानों अभिलेख आदि के निस्तारण हेतु विशेष अभियान-II की कार्य योजना की समीक्षा ।
2. जोन से सम्बन्धित चोरी, हानि एवं गबन सम्बन्धी मामलों की समीक्षा।
3. महालेखाकार/आन्तरिक जांच व विशेष जांच प्रतिवेदनों की पालनाओं सम्बन्धी चर्चा एवं इस बाबत केम्प आयोजन का निर्धारण।
4. मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी की कार्यप्रणाली एवं वित्तीय प्रबन्धन सम्बन्धी।
5. आन्तरिक जांच दलों का पर्यवेक्षण।
6. राजस्थान वेतनमान नियम 2008 तथा ए.सी.पी. निर्धारण बाबत कठिनाईयों का निराकरण।
7. बकाया पेंशन प्रकरणों की समीक्षा।
8. विभागीय योजनाओं/परियोजनाओं संबंधी अन्य बिन्दु।

उपरोक्त पर्यवेक्षण अधिकारी संयुक्त निदेशक जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों में आयोजित मासिक बैठकों में उपरोक्त अधिकारी अपने जोन से संबंधित उपरोक्त बिन्दुओं की समीक्षा कर कठिनाईयों का निराकरण का प्रयास करेंगे तथा विभागीय कार्यो को गति प्रदान करेंगे।

(एस. एस. बोहरा)
वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर
फोन नं. 0141-2225334

क्रमांक : पीए/एफए/2009/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रबन्ध निदेशक (एन.आर.एच.एम. / आर.एच.एस.डी.पी.), मुख्यालय।
2. निदेशक (जन स्वा. / प.क. / आई.ई.सी.), मुख्यालय।
3. परियोजना निदेशक, एड्स, मुख्यालय
4. वित्तीय सलाहकार (एन.आर.एच.एम./आर.एच.एस.डी.पी./एड्स) मुख्यालय।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, (अंकेक्षण/बजट)।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- ....
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला ....को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीन समस्त चिकित्सा संस्था/ईकाइयों को सूचित करावे।
8. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, ...
9. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय चिकित्सालय ....
10. समस्त जिला कुष्ठ नियंत्रण इकाई ....
11. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, टी.बी. क्लिनिक ....
12. लेखाधिकारी(मुख्यालय)/सहायक लेखाधिकारी (अंकेक्षण/आ.जां./बजट)।
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
14. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
15. प्रभारी, सरवर कम्प्यूटर रुम, मुख्यालय को आदेश की प्रति भिजवाकर लेख है कि उक्त आदेश को इन्टरनेट एवं जिला मुख्यालय संबंधित की वेबसाइट पर तुरन्त डलवाने का श्रम करें।
16. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर